भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान

राष्ट्रपति निवास, शिमला-171005

**अध्ययनार्थ छुट्टी के लिए प्रपत्र (केवल 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक)**

1. अध्येता का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....................................................................................................

2. होम टाउन/गृह नगर ....................................................................................................

3. निम्नलिखित प्रारूप में उन स्थानों का विवरण दें जहां इस अवधि के दौरान जाने की योजना है-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| क्रमांक  | प्रस्थान की तिथि व समय | पहुँचने की तिथि | जिन स्थानों पर जाना है | ठहरने के कुल दिन |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

4. टिप्पणी, यदि कोई हो .........................................................................................................

5. अध्ययनार्थ छुट्टी के दौरान पत्राचार का पता (स्पष्ट अक्षरों में ): ..............................................................................................................................................................................................................................

दिनांक:- (अध्येता के हस्ताक्षर)

**अध्येताओं के लिए यात्रा-भत्ता नियम:-**

क) जिन अध्येताओं की अध्येतावृति की अवधि छ महीने है वे 15 दिन की अध्ययनार्थ छुट्टी के हकदार होंगे।

ख) जिन अध्येताओं की अध्येतावृति की अवधि एक वर्ष है वे 30 दिन की अध्ययनार्थ छुट्टी के हकदार होंगे।

ग) जिन अध्येताओं की अध्येतावृति की अवधि दो वर्ष है वे दूसरे वर्ष भी 30 दिन की अध्ययनार्थ छुट्टी के हकदार होंगे।

घ) अपने गृह नगर जाने वाले अध्येता सिर्फ यात्रा भत्ता मिलेगा, महंगाई भत्ता नहीं।

ङ) हवाई यात्रा या प्रथम श्रेणी वातानुकुलित रेल यात्रा की अनुमति नहीं है।

च) जिन अकादमिक संस्थानों/पुस्तकालयों में जाना है उसके दौरा कार्यक्रम के बारे में निदेशक से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा अध्ययनार्थ छुट्टी के बाद उन अकादमिक संस्थानों/पुस्तकालयों की ओर से जारी किया उपस्थिति प्रमाण जमा करवाना होगा। अध्ययन अवकाश के दौरान विभिन्न स्थानों पर गए अध्येता वहां ठहरने के दौरान एक या दो व्याख्यान दे सकते हैं तथा संस्थान के प्रतिनिधि के तौर पर ज्ञान प्रसार के लिए आयोजित ऐसे व्याख्यानों का पूर्व प्रबंध उन्हें स्वयं करना होगा।

छ) अध्ययनार्थ छुट्टी के दौरान प्रतिदिन 200/-रूपए मंहगाई भत्ता मिलेगा।

नोट:- यात्रा भत्ता बिल में यात्रा टिकट की संख्या अवश्य भरें।